

प्रेस नोट दिनांक 22.07.2026

थाना किला जनपद बरेली

थाना किला #bareillypolice द्वारा 01 अभियुक्त को बारहसींगा के अवैध 03 तीन सींग के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना किला पुलिस द्वारा दिनांक 22.07.2026 को शमशान भूमि फाटक के आगे मढीनाथ को जाने वाले रास्ता तिराहा थाना किला बरेली से 01 अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता निवासी निकट साई अस्पताल पीपल वाले मन्दिर के पास संजय नगर थाना बारादरी जनपद बरेली उम्र 43 वर्ष के कब्जे से बारहसींगा के अवैध 03 सींग बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 22.07.2026 को थाना किला पुलिस टीम द्वारा शमशान भूमि फाटक के आगे मढीनाथ को जाने वाले रास्ता तिराहा थाना किला बरेली से 01 अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता निवासी निकट साई अस्पताल पीपल वाले मन्दिर के पास संजय नगर थाना बारादरी जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से बारहसींगा के अवैध 03 सींग बरामद किये गये तथा एक मोबाइल फोन व एक कार धारा 207 एमवी एक्ट में शीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना किला पर दिनांक 22.07.2026 को मु0अ0सं0 264/2026 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 बनाम विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता निवासी निकट साई अस्पताल पीपल वाले मन्दिर के पास संजय नगर थाना बारादरी जनपद बरेली के पंजीकृत किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:- अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना किला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.07.2026 को समय 01.09 बजे थाना किला पुलिस टीम द्वारा शमशान भूमि फाटक के आगे मढीनाथ को जाने वाले रास्ता तिराहा थाना किला बरेली से 01 अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता निवासी निकट साई अस्पताल पीपल वाले मन्दिर के पास संजय नगर थाना बारादरी जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से बारहसींगा के अवैध 03 सींग बरामद किये गये तथा एक मोबाइल फोन व एक कार धारा 207 एमवी एक्ट में शीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना किला पर दिनांक 22.07.2026 को मु0अ0सं0 264/2026 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 बनाम विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता निवासी निकट साई अस्पताल पीपल वाले मन्दिर के पास संजय नगर थाना बारादरी जनपद बरेली के पंजीकृत किया गया। तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता निवासी निकट साई अस्पताल पीपल वाले मन्दिर के पास संजय नगर थाना बारादरी जनपद बरेली उम्र 43 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त विशाल गुप्ता उपरोक्त

मु0अ0सं0 264/2026 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 थाना किला जिला बरेली

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 03 सींग कुल वजन 4.350 किलोग्राम
2. एक मोबाइल
3. एक कार

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता निवासी निकट साई अस्पताल पीपल वाले मन्दिर के पास संजय नगर थाना बारादरी जनपद बरेली ने पूछताछ पर बताया कि साहब यह बारहसींगा के सींग है जो काफी मंहगी बिकती है। मेरे परिवार को पैसों की जरूरत है जिसके चलते मैं यह काम करता हूँ। आज मैं अपने मालिक कि कार बहाने से मांग कर उसमे रखकर इन सींगों को मंहगे रेट पर बेचने के लिए बाहर जा रहा था आपने पकड़ लिया मेरे पास जो 03 सींग थी वह भी बरामद कर ली गयी है। इसके बाद अपनी गलती की माफी मांगने लगा।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री अचल कुमार थाना किला जिला बरेली
2. उ०नि० श्री वकार अहमद थाना किला जिला बरेली
3. उ०नि० श्री राहुल कुमार थाना किला जिला बरेली
4. उ०नि० श्री उ०नि० पवनकृष्ण यादव थाना किला जिला बरेली
5. उ०नि० श्री मनवीर सिंह थाना किला जिला बरेली
6. हे०कां० 231 विजयपाल सिंह थाना किला जिला बरेली
7. कां० 2760 दीपक कुमार थाना किला जिला बरेली